कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया (म0प्र0)

क्रमांक क्यू./सा.निर्वा./2016/515 दतिया, दिनांक 13.10.2016

निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

मध्यप्रदेश शासन,विधि और विधायी(निर्वाचन) कार्य विभाग म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक फा0नं0 4/1/स्था0/2009/विनिर्वा/160 भोपाल दिनांक 07.06.2016 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल के फा0क्र0 4/1/स्था0/2009/6398 भोपाल दिनांक 02.07.2016 द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नानुसार नवीन पद स्थाई रूप से निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थान	पद		
			सहा0प्रोग्रा0	डा0ऐ0ऑ0	भृत्य
1	जिला निर्वाचन कार्यालय दतिया	दतिया	01	02	01
2	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सेवढ़ा/दतिया/ भाण्डेर	03	06	—
3	सहा0निर्वा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सेवढ़ा/दतिया/ भाण्डेर	—	03	—
		योग	04	11	01

उपरोक्त स्वीकृत पदों पर आउटसोर्स से कर्मचारी प्रदाय करने हेतु भारत सरकार /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से सीलबंद निविदाऐं दिनांक 25.10.2016 दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 25.10.2016 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगीं। निविदा के आवेदन प्रपत्र एवं शर्तें अनुबंध प्रपत्र आदि दिनांक 14.10.2016 से दिनांक 25.10.2016 तक प्रतिदिन 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय दतिया से रू 500/-(रूपये पांच सौ) नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। नियत समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पदों की सीमा को घटाने एवं बढ़ाने का पूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल को होगा। निविदा के आवेदन पत्र ,शर्तें ,अनुबंध पत्र आदि जिला दतिया की वेवसाईट **www.datia.nic.in** से डाउनलोड की जा सकती है एवं कार्यालयीन समय में जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकन की जा सकती है। यदि डाउनलोड फार्म को उपयोग में लिया जाता है तो भी रू 500/-(रूपये पांच सौ) नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

(मदन कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
दतिया (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया म0प्र0

दूरभाष क्रमांक 07522–237905 E-mail : deodatia01@gmail.com

// निविदा सूचना(द्वितीय आमंत्रण)//

दतिया दिनांक 13 अक्टूबर 2016

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के फा.क्रमांक 4/1/स्था/2009/6398 भोपाल दिनांक 02.07.2016 के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालयों हेतु सहायक प्रोग्रामर–1,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–2, भृत्य–1 एवं जिले में तीन विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों के लिये सहायक प्रोग्रामर–3,डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–6 एवं जिले में विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयो हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर–3 के पद स्वीकृत किये गये है। उक्त पदों में नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये टेण्डर जारी किया जाना है। आउटसोर्स कर्मचारी लेने हेतु शासन द्वारा अधिकृत संस्था से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। जिले में सहायक प्रोग्रामर–4 एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर– 11 कुल 15 पद एवं जिले के लिये 01 भृत्य की आवश्यकता होगी। इस सीमा को घटाने–बढ़ाने का पूर्ण अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल को होगा।

आउटसोर्स हेतु दरों की शर्तें

1. आउटसोर्स कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पृथक–पृथक दरें उपलब्ध कराना होगा।
2. सफल निविदाकारों को आउटसोर्स कर्मचारियों को योग्यतानुसार वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। उक्त पदों की योग्यता निम्नानुसार होना चाहिए–

पद का नाम	पद हेतु अनिवार्य योग्यता
सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ए./एम.एस.सी.(गणित)/सांख्यकी/इलेक्ट्रोनिक्स विषय) की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पी0जी0डी0सी0ए0 या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बी0ई0(इलेक्ट्रोनिक्स) में उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	योग्यता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वित्तीय श्रेणी के अंकों सहित स्नातक। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा ऐन्ट्री ऑपरेशन / प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10000 Key Depression प्रति घंटा की गति हो
भृत्य	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आउटसोर्स पर लिये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार रहेगी

क्र.	कार्यालय का नाम	स्थान	पद		
			सहा0प्रोग्रा0	डा0ऐ0ऑ0	भृत्य
1	जिला निर्वाचन कार्यालय दतिया	दतिया	01	02	01
2	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सेवढ़ा/दतिया/ भाण्डेर	03	06	—
3	सहा0निर्वा0 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सेवढ़ा/दतिया/ भाण्डेर	—	03	—
		योग	04	11	01

3. निविदा के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जावेगी।अन्य प्रपत्र में निविदायें मान्य नहीं होगी
4. सीलबंद निविदाऐं जिला निर्वाचन कार्यालय दतिया को **25.10.2016** तक दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष 4.00 बजे खोली जावेगी। नियत समय–सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

5. निविदाकार का निविदा के साथ रू. 10000(दस हजार रू) मात्र की अमानत राशि नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। निविदाकार को वित्तीय स्वीकृति एवं कर्मचारी निविदा पृथक पृथक रखना होगी।

6. वित्तीय निविदा(धरोहर राशि) की अनुपलब्धता की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी तथा निविदाकार की निविदा नहीं खोली जावेगी।

7. निविदाकारों को आउटसोर्स कर्मचारी को जिला कार्यालय की कलेक्टर दर पर पृथक-पृथक पद हेतु कितनी-कितनी राशि की कटोत्री की जानी है एवं कितनी राशि कर्मचारी को दी जानी है उसका स्पष्ट उल्लेख दर्शित प्रपत्र के अनुसार करना होगा।

Salary Calculation

A.	Gross Salary	
B.	Statutory Liablities	
	E.P.F. Contribution	
	ESIC Contribution	
C.	Manpower Carrying Cost(A+B)	
D.	Service Charge Application on Man Power Carrying cost	
E.	**Total Manpower Cost(C+D)**	
F.	Service Tax on Taxable Value applicable on Total manpower Cost	
	Total Salary per Manpower	

8. निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होने पर प्रत्येक माह जिला निर्वाचन कार्यालय दतिया से उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान देयक उपलब्ध कराना होगा।

9. सफल निविदाकार को आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों का वेतन उपस्थिति के आधार पर ही दिया जावेगा तथा सफल निविदाकार द्वारा चयनित कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा।

10. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया को होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । उनके निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।

11. उपलब्ध कराये गये कर्मचारी को जिले के किसी भी अनुविभागीय अधिकारी/तहसील कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा जिसके लिये वह वाध्य होगा।

12. आउटसोर्स कर्मचारियों की सामान्य रूप से कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.45 बजे तक होगी परन्तु आवश्यकता के अनुसार निर्वाचन कार्य हेतु अवकाश के दिवसों पर बुलाया जा सकता है किसी भी समय कार्य करने हेतु कर्मचारी वाध्य होगा।

13. निविदा तथा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन कराना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो निविदा अस्वीकृत की जाकर जमा की गई अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी तथा उनके द्वारा किये गये कार्यो का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

14. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को एग्रीमेंट कराकर रू. 50000(पचांस हजार रूपये मात्र) की प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया के नाम से जमा करना होगा।

15. सफल निविदाकार के चयनित कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के कृत्य के लिये निविदाकार उत्तरदायी रहेगा।

16. सफल निविदाकार द्वारा आउटसोर्स वाले पदों पर नियुक्त किये गये कर्मचारी नियमित नहीं माना जावेगा तथा किसी प्रकार के दावे के लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

17. निविदाकार के पास शासन द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र एवं पंजीयन क्रमांक एवं विगत 3 वर्षो (2014 से 2016)तक का अनुभव होना अनिवार्य है यदि निविदाकार को निविदा के साथ उक्त संबंध का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। निविदा के साथ नहीं पाये जाने पर निविदा स्वयं ही निरस्त मानी जावेगी।

18. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी को उनके निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्य का समयाबधि में कार्य पूर्ण करना होगा यदि कर्मचारीं द्वारा निर्देशों के कार्य में लापरवाही बरतने पर शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कर्मचारी का वेतन की कटोत्री चयनित संस्था के देयक से की जावेगी।

19. उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य को जांचने हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा कराये गये कार्य की समीक्षा की जावेगी। जिसमें अनियमितता या असत्यता पाये जाने पर चयनित कर्मचारी को 24 घण्टे के अंदर हटाया जाकर नये कर्मचारी की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने पर ऐजेन्सी का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा।

20 वित्तीय निविदा आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्रों से पृथक सीलबंद लिफाफे में रखी जावे।

21 निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को इस कार्यालय द्वारा कोई नियुक्ति पत्र जारी नही किया जावेगा।

22. फर्म द्वारा ई0पी0एफ0पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा ।

23. फर्म /एजेन्सी के विरूद्व कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो ।

24. फर्म /एजेन्सी अनुबंध बजट निर्वाचन आयोग की स्वीकृति आधार पर अनुबंधित की जावेगी जिसे किसी भी समय नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है ।

25. अनुबंधित फर्म /एजेन्सी के नियम एवं शर्तो को संशोधित करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दतिया को होगा ।

26. फर्म /एजेन्सी का अनुबंध 2016–17 तक के लिये किया जावेगा । एवं कार्य के अनुसार यह अवधि अनुमोदन उपरांत बढ़ाई जा सकती है ।

27. फर्म /एजेन्सी अनुबंधित करने के संबंध मे जिला निर्वाचन अधिकारी दतिया का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । इस सम्बंध मे कोई कानूनी अभ्यावेदन मान्य नही होगा ।

28. फर्म /एजेन्सी को विगत तीन वर्षो (2014 से 2016) का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

29. फर्म /एजेन्सी का वार्षिक टर्न ओव्हर 10 लाख रूपये से कम नही होना चाहिये ।

30. फर्म /एजेन्सी का श्रम विभाग मे जीवित पंजीयन होना चाहिये ।

31. फर्म /एजेन्सी को लगातार तीन वर्षो तक इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल करना अनिवार्य होगा।

32. अनुबंध प्रारूप मे सेवा प्रारम्भ के पूर्व 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला दतिया से अनुबंध निष्पादित करना होगा जिसका व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

33. अन्य सेवा शर्ते निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार रहेगी ।

(मदन कुमार)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
दतिया

पृ0क्रमांक / वि. लि./निर्वाचन/2016 / 515 — दतिया दिनांक 13-10-16

प्रतिलिपि –

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड भोपाल की ओर प्रादेशिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु अनुरोध है।
4. कलेक्टर समस्त जिला म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 दतिया की ओर वेवसाईट पर अपलोड करने वावत्।
6. उप संचालक जनसंपर्क विभाग दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त निविदा निःशुल्क प्रकाशित कर उसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(मदन कुमार)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
दतिया

आउट सोर्स से सहायक प्रोग्रामर/ डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर/भृत्य की सेवाएं प्रदान करने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं से निविदा आमंत्रित किये जाने वाला प्रपत्र

निविदा प्रपत्र

1. निविदाकार संस्था का नामः–..
....
....
2. संस्था के प्रोपराईटर/निदेशक का नामः–..
....
....
3. संस्था के पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पताः–..
....
दूरभाष क्रमांक..फैक्स क्रमांक..
ई–मेल का पता..

4. सेवा प्रदाता संस्था का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक....................................
(पंजीयन दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
5. सेवा प्रदाता संस्था का बैंक विवरणः– बैंक का नाम..
बैंक शाखा का नाम................................बैंक का IFSC Code No. ....
(पिछले 3 वर्षो के आय–व्यय लेखा विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. सेवा प्रदाता संस्था का पिछले तीन वर्षो का टर्न ओवर

वित्तीयं वर्ष	राशि (रू. लाख में)	टिप्पणी यदि कोई हो
2013–14		
2014–15		
2015–16		

7. सेवा प्रदाता का ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन क्रमांक...
(सत्यापित प्रति संलग्न करें)
8. सेवा प्रदाता का ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन क्रमांक..
(सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. सेवा प्रदाता का सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....
(सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार के प्रदाय की गई संविदा सेवा अनुबंधों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण

क्र.	विभाग/संस्था का नाम/पता/दूरभाष एवं फैक्स नं.	प्रदाय की गई सेवा का विवरण		संविदा /अनुबंध की राशि(रू. लाख में)	संविदा अनुबंध की अवधि	
		सेवा का प्रकार	संख्या		से	तक

11. अमानत की राशि का विवरण

डी0डी0 क्रमांक...दिनांक ....राशि....................

12. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक देय सभी प्रभारी का शासन को भुगतान किये जाने का अदेयता पत्र प्रस्तुत करें।

13. क्या सेवा प्रदाता संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार के किसी सक्षम न्यायालय में दावा /वाद या कोई प्रकरण विचाराधीन/प्रचलित है। विवरण पृथक से संलग्न करें।

14. सहायक प्रोग्रामर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/भृत्य की सेवाओं के लिए दिए जाने वाले वेतन का विवरणः–

स. क्र.	प्रतिमाह वेतन का विवरण	सहायक प्रोग्रामर प्रतिमाह वेतन(रू)	डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर प्रतिमाह वेतन(रू)	भृत्य प्रतिमाह वेतन(रू)
1	वेतन			
2	ई.पी.एफ अंशदान			
3	ई.एस.आई. अंशदान			
4	सेवा प्रभार			
5	सेवा कर			
6	अन्य प्रभार यदि कोई हो			
7	कुल वेतन (राशि रू में)			

वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पूरा नाम.......................................

दिनांक...

स्थान...

संस्था की मुहर